संख्या-31/2016/2822/26-2-2016

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनागत पक्ष में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत 02 मजदूरी में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-257/स0क0/सां0-कम्प्यूटर/2016-17 दिनांक-25.11.2016 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2235-02-200-09-00 के अन्तर्गत मानक मद 02-मजदूरी में भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से **धनराशि रू0-113.22676 लाख (रू0 एक करोड़ तेरह लाख बाइस हजार छः सौ छियत्तर मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का व्यय सेवा प्रदाता संस्था NIELIT से लिये गये उन्हीं कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु किया जायेगा, जिनकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की गयी है। इस धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा।

3- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

4- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-200-अन्य कार्यक्रम-09-समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण-02-मजदूरी हेतु भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1682/दस-2016, दिनांक-21 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

नीरजा कुरील
उपसचिव।

संख्या-31/2016/2822(1)/26-2-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2
5- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।